(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

लाला बनाम आसीन वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 54 सन् 2024

2024/127

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12.06.24	अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस एकतरफा में निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 कुल किता 07 कुल रकबा 3.2245 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 340/2341 रकबा 1.0748 हैक्ट. व व ख0न0 340 रकबा 1.0748 हैक्ट. व ख0न0 340/2341 रकबा 1.0748 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 107/3, 169/3, 242/2 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2645 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां, पटवार हल्का बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाज्य आराजीयात है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अपने उक्त हक व हिस्से के मालिक, स्वामी, काबिज काश्तकार है। प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि का पक्षकारान् के मध्य विधिवत् विभाजन नही हुआ है, मौके पर प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अप्रार्थीगण बिना विधिवत् विभाजन के उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी को उसके हिस्से को काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थी को उसके हिस्से एवं कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर, प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है एवं प्रतिपक्षीगण उक्त आराजीयात को बिना तकास्मा करवाये प्रार्थी की भूमि को रहन, दान, बेचान करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रकरण में प्राइमाफेसीयॉ केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 15 उक्त वर्णित आराजीयात में संयुक्त रूप से खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं। अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 15 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजामहत व मदाखलत नहीं करे। प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे एवं उक्त	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

वर्णित आराजीयात को रहन, दान, बेचान नही करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 09.07.2024 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

09/07/24 पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ... त आवेशिका अनुसार दिनांक 10/09/24 .... पेश हो। Ram

10/9/24 पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ... त आवेशिका अनुसार दिनांक 19/11/24 ... पेश हो। Ram

19/11/24 पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश ... होने के कारण पत्रावली ... अनुसार दिनाक 09/01/2025 ... पेश हो।

9/1/25 पत्रावली पेश हुई सम्मन नोटिस जरिये र.जि. ए.डी. आफ ही पेश होकर दिनांक 11-3-25 को पेश हो।

11/03/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। सम्मन नोटिस पेश हो। पत्रावली दिनांक 13-05-25 को पेश हो।

13/5/25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप० सम्मन तलबाना पेश होकर दिनांक 10-6-25 को पेश हो।

10/6/25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित सम्मन तलबाना पेश होकर दिनांक 6-8-25 को पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

FORM NO. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..मुकाम..

लाला ....बनाम.......... आसीन वगै.

किस्म मुकदमा..नं. 54 ....सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/08/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली पर आदेशिका अनुसार दिनांक 30/10/25 पेश हो। Ram	
30/10/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित समक्ष तामील पेश होकर पत्रावली दिनांक 18-11-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/11/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता एवं प्रार्थी अनुप. बार बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5 बजे लगाई गई उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner